## 62वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील का राष्ट्र के नाम संदेश
## नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी, 2011

प्यारे देशवासियो,

बासठवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं, देश के कोने-कोने में बसे हुए तथा विदेशों में रहने वाले आप सभी भारतीयों का अभिनंदन करती हूं। हमारी सीमाओं की रक्षा में तैनात सशस्त्र सेनाओं और अर्ध सैनिक बलों तथा आंतरिक सुरक्षा बलों के जवानों को मैं विशेष रूप से शुभकामनाएं देती हूं। मैं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के सभी नागरिकों को भी बधाई देती हूं।

हमारे देश के इतिहास में 26 जनवरी का दिन एक बहुत महत्त्वपूर्ण दिन है, जब हम, ऐसे आजाद भारत की स्थापना का उत्सव मनाते हैं, जो कि न्याय तथा समानता के सिद्धांतों पर स्थापित गणतंत्र है। आज के दिन हम, ऐसा देश प्रदान करने के लिए, अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान तथा अपने राष्ट्र निर्माताओं के कार्यों को कृतज्ञता से याद करते हैं, जहां हमारी गरिमा तथा स्वतंत्रता की गारंटी संविधान के अंतर्गत दी गई है। यह एक ऐसा अवसर भी होना चाहिए, जब हम खुद को सौहार्द, शांति तथा भाईचारा कायम रखने के लिए फिर से समर्पित करें। सबसे अधिक, यह समय इसके आत्म-मूल्यांकन का है कि हमारी यात्रा अभी तक कैसी रही है तथा हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं।

हमारी उपलब्धियों का श्रेय, सबसे पहले हमारे देश के करोड़ों पुरुषों और महिलाओं की हिम्मत तथा उनकी समर्पित कड़ी मेहनत को जाता है। हम, भारत के बढ़ते प्रभाव तथा उसके निरंतर आर्थिक विकास के साक्षी हैं, जिसके कारण अधिक से अधिक लोगों को खुशहाली प्राप्त हुई है। हमें अपनी सफलता पर गर्व है लेकिन अभी कई जरूरी कार्य पूरे किए जाने बाकी हैं, खासकर हमारे देश के निर्धन तथा वंचित तबके के लोगों के सशक्तीकरण का वायदा, जिससे कि वह लोग भी राष्ट्र के विकास में भागीदार बन सकें।

प्यारे देशवासियो,

हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता से ऐसे आदर्श और मूल्य प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने हमें मानवीय अनुभवों तथा चिंतन की समृद्ध विरासत प्रदान की है। हमारी प्राचीन संस्कृति में, सभी इन्सानों के एक ही मूल से होने, आपस में तथा प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहने तथा ज्ञान और सत्य की खोज, जैसी संकल्पनाओं को प्रमुखता दी गई है। इन्हीं विचारों ने हमारी आजादी के आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की और आजादी के बाद इनको हमारे संविधान में सहज प्रतिध्वनि मिली। इस देश के नागरिक होने के नाते यह हममें से हर-एक का कर्तव्य और दायित्व है कि हम यह दिखाएं कि इन सिद्धांतों से हमें एक महान देश का निर्माण करने की प्रेरणा तथा शक्ति प्राप्त हुई।

तथापि, यह एक सच्चाई है कि ऐसा कोई भी समाज नहीं हो सकता, जिसे समय की बदलती जरूरतों से निपटने के लिए खुद को विकसित करने की जरूरत न पड़े और न ही ऐसा कोई देश हो सकता है, जिसे चुनौतियों का सामना न करना पड़ा हो। भारत के हिस्से में भी कई समस्याएं, अड़चनें, दबाव तथा कठिनाइयां आई हैं। हम इनसे बच कर नहीं निकल सकते या इनकी अनदेखी नहीं कर सकते परंतु हमें विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए, मिल-जुलकर इनका समाधान खोजना होगा। किसी भी देश की ताकत का आकलन उसके सामने मौजूद चुनौतियों से नहीं वरन् इस बात से होता है कि उसने इनका जवाब किस ढंग से दिया, खासकर तब, जब कि देश एक महत्त्वपूर्ण दौर तथा निर्णायक मोड़ पर खड़ा हो। अगले दशक के दौरान, हम अपनी इस बढ़त से फायदा उठाने तथा अपनी कमियों को दूर करने के लिए क्या-क्या कदम उठाते हैं, इससे ही हमारे देश के भविष्य का निर्माण होगा। जब भी अपने कार्य की दिशा में सुधार जरूरी हो, उसमें बिना हिचक और तत्काल सुधार किया जाना चाहिए। महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्यों के संबंध में राष्ट्रीय आमराय होनी चाहिए। इन लक्ष्यों में से कुछ लक्ष्य, जैसे कि गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तीकरण, स्तरीय शिक्षा की प्राप्ति और किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, मानव संसाधन विकास के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा, नागरिक जीवन में अनुशासन और समर्पण तथा निष्ठा से कार्य करने में जनता की तत्परता का बहुत सकारात्मक प्रभाव हो सकता है।

प्यारे देशवासियो,

हमारी सबसे शानदार उपलब्धियों में से एक, लोकतंत्र के प्रति हमारी दृढ़ निष्ठा रही है। भारत की जनता ने हर-बार चुनावी प्रक्रिया में भाग लेकर अपनी आस्था जताई है। हमारे लिए लोकतंत्र विश्वास का प्रतीक है और न केवल हमारे गणतंत्र के मूल स्तंभ के रूप में, बल्कि हमारी स्वतंत्रताओं की गारंटी के रूप में भी, दोनों ही नजरियों से, महत्त्वपूर्ण है। इसकी निरंतरता, भारत की पहचान के लिए जरूरी है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और बहुत सी विषमताओं के बावजूद सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो रहा है। हमें न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं और इसकी प्रक्रियाओं को मजबूती देनी होगी वरन् जाने-अनजाने में किए गए ऐसे किसी भी कार्य से बचना होगा, जिससे लोकतंत्र कमजोर पड़ता हो अथवा जो लोकतंत्र के लिए हानिकारक हो।

हमारे देश की संसद जनता की संप्रभु इच्छाशक्ति का प्रतीक है तथा इसका सफलतापूर्वक संचालन सरकार और विपक्ष दोनों ही पक्षों की संयुक्त जिम्मेदारी है। यह बहुत ही जरूरी है कि, सभा की मर्यादा तथा गरिमा हर समय बनाए रखी जाए। जनता के बीच संसद की छवि, एक ऐसी संस्था की होनी चाहिए, जहां रचनात्मक सहयोग की भावना के साथ मुद्दों का समाधान खोजने के लिए कार्यवाहियां, चर्चा तथा विचार विमर्श होते रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता के भरोसे पर असर पड़ सकता है और हताशा की भावना पैदा होती है, जिसे किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं असफल होती हैं। इसलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं में भागीदारों के बीच विचार-विमर्श, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है।

अब समय आ गया है कि हम अपने सामाजिक परिवेश पर भी बारीकी से नज़र डालें। क्या समाज का अपराधीकरण बढ़ रहा है? क्या एक-दूसरे के प्रति उदासीनता की भावना में वृद्धि हो रही है? क्या हम इतना अधिक भोगवादी, संकुचित तथा बेपरवाह हो गए हैं कि हमें अपने कार्यों से अपने भाइयों, समाज अथवा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की जरा भी चिंता नहीं है? यह अत्यंत ही क्षोभ तथा चिंता का विषय है कि मात्र कुछ पैसों के लिए किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए; अथवा कोई महिला इसलिए

बलात्कार का शिकार हो क्योंकि उसने छेड़छाड़ का विरोध किया था अथवा संयम की कमी के कारण किसी छोटी-सी बात पर एकदम से बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाए। इसी तरह, शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग के मामले भी चिंताजनक हैं। रैगिंग हिंसा है। यह ऐसा जघन्य कृत्य है, जिसे सहन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसके कारण माता-पिता और देश को बेहद क्षति पहुंचती है। ऐसी घटनाओं से हमारे सामाजिक ताने-बाने को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसलिए यह जरूरी है कि सामाजिक सौहार्द तथा समरसता के हित में, इस तरह की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखा जाए। मैं अपने देशवासियों से आग्रह करती हूं कि वे कभी भी हिंसा का सहारा न लें। हमारे देश ने, अहिंसा तथा सत्य के उत्तम मार्ग का अनुसरण करते हुए आजादी प्राप्त की। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, अपनी यात्रा में भी हमें इसका पालन करते हुए, नैतिक शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। समाजों की तरक्की तब सही दिशा में होती है, जब उनके सदस्य, सकारात्मक परिवर्तन लाने तथा सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की दिशा में प्रयास करते हैं। मैंने वर्ष 2008 में, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपने प्रथम संबोधन में, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को नैतिक मूल्यों तथा सामाजिक न्याय का ध्यान रखते हुए किए जाने की जरूरत के बारे में बात की थी। मैं, फिर से निष्ठा, ईमानदारी, सद्-आचरण तथा उच्च मूल्यों के महत्त्व पर जोर देना चाहूंगी, जो कि हमारी संस्कृति द्वारा प्रदान किए गए हैं।

हमारे देश के युवाओं को इस विरासत को आगे लेकर जाना होगा। देश के भविष्य के निर्माताओं के रूप में, उन्हें मूल्य-आधारित शिक्षा प्रदान करते हुए शिक्षित करना, उनके चारित्रिक विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कहा जाता है कि बच्चे जब छोटी उम्र में होते हैं, तो उनका पहला शिक्षक उनकी माता तथा दूसरा शिक्षक प्राथमिक स्कूल का शिक्षक होता है। बच्चों की रचनात्मक उम्र में इन दोनों का स्थाई प्रभाव पड़ता है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक अच्छा कार्य कर रहे हैं। परंतु हमें शिक्षकों की अनुपस्थिति की दर कम करने और शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा शिक्षा की गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का लगातार आकलन करना चाहिए। इसके साथ ही, जनजातीय तथा सुदूर इलाकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े समुदायों को सुविधा प्रदान करने के लिए हमारे विशेष प्रयासों में भी तेजी आनी चाहिए। हमारा प्रयास

यह होना चाहिए कि शैक्षिक प्रतिस्पर्धा में समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं जिससे कि समाज के सभी वर्गों के विद्यार्थी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसे उच्च संस्थानों में प्रवेश ले सकें।

प्यारे देशवासियो,

एक राष्ट्र के रूप में हमारा लक्ष्य है, तरक्की करना और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। गरीबी उन्मूलन तथा समाज के पिछड़े और वंचित लोगों के उत्थान के समावेशी विकास का हमारा लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है, जब हमारे कार्यों में सामाजिक जागरूकता हो और उनमें संवेदनशीलता भी हो। हमारा लक्ष्य सुप्रशासन तथा जन-केंद्रित प्रशासन प्रदान करना है। इसमें, जन-सेवा के क्षेत्र में संवेदनहीनता तथा लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास तेज करने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों में ही, और अधिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही निर्धारित करनी होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के प्रयासों से भविष्य का उत्पादक मानव संसाधन तैयार होगा। शहरी और ग्रामीण विकास की योजनाओं से हमारे शहर और गांव जीवन-यापन करने के लिए अच्छे पर्यावास बन पाएंगे। महिलाओं, युवाओं, बालिकाओं के लिए और अलग तरह से सक्षम तथा समाज के उपेक्षित वर्गों के लिए कार्यक्रम चलाने से, वे अवसरों का लाभ उठा पाएंगे तथा भविष्य का सामना विश्वास के साथ कर सकेंगे। हमें अनाथ तथा निराश्रित बच्चों, उम्रदराज लोगों तथा असहायों की समस्याओं पर भी कार्य करने की जरूरत है। कल्याण योजनाओं की सफलता के लिए विकास निधियों की पूरी राशि लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचनी चाहिए। भ्रष्टाचार विकास तथा सुशासन का शत्रु है। इसमें फंसे रहने के बजाय यह जरूरी है कि हम इससे ऊपर उठें और भ्रष्टाचार से और अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रणाली में बदलाव लाने पर गंभीरता से विचार करें। वित्तीय संस्थाओं, कार्पोरेट जगत और सिविल समाज को अपने कामकाज में ईमानदारी के उच्च मानदण्ड कायम रखने होंगे। न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए सकारात्मक परिवर्तन सरकार और उसकी जनता के बीच गंभीर सहभागिता से ही लाया जा सकता है।

सूचना, समाचार और विभिन्न नजरियों को लोगों तक पहुंचाने में, मीडिया की अहम भूमिका है। यह जागरूकता बढ़ाता है, विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श को बढ़ावा

देता है और राय भी तैयार करता है। देश में बेहतरीन आचरण के ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलेंगे, जहां कुछ नेक व्यक्ति समाज की महती सेवा कर रहे हैं, कुछ सामाजिक संगठन इलाकों में निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं तथा इसी तरह का श्रेष्ठ कार्य परोपकारी लोग, वैज्ञानिक तथा शिक्षाविद् भी कर रहे हैं। ऐसे कार्यों को प्रमुखता देकर, मीडिया अच्छे उदाहरणों का अनुकरण करने के लिए, दूसरों को प्रेरित कर सकता है, इसलिए मैं मीडिया से आग्रह करना चाहूंगी कि वह अपनी पहुंच और विषयवस्तु को बढ़ाने के साथ-साथ सकारात्मक भावना के साथ काम करें। लोकतंत्र तथा इसकी संस्थाओं की मजबूती बनाए रखने में संवेदनशील तथा जिम्मेदार मीडिया बहुमूल्य है।

प्यारे देशवासियो,

यह प्रसन्नता की बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था संतुलित गति से आगे बढ़ रही है और वैश्विक वित्तीय संकट के दौर में, मुश्किल हालात के सामने भी इसका प्रदर्शन प्रशंसनीय था। हम अब, संकट से पहले की विकास गति की ओर वापस लौट रहे हैं तथा हमें विश्वास है कि अगले वर्ष हमारी विकास दर 9 प्रतिशत से अधिक रहेगी। हमारे विकास की इस रफ्तार में, अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टरों का योगदान रहेगा। परंतु बढ़ती महंगाई, विशेषकर खाद्य पदार्थों की कीमतें, गंभीर चिंता का विषय हैं और इसने हमारा ध्यान उचित कार्रवाई करने और खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास के लिए नव-अन्वेषी तरीकों की खोज की जरूरत की ओर खींचा है।

खाद्यान्न में राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने वाली हरित क्रांति का दौर पूरा हो चुका है। हमें दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है जिसमें अधिक से अधिक पैदावार ली जा सके और जिसमें साथ ही ग्रामीण आबादी के लिए आय और रोजगार के अवसर भी पैदा हों। पहली हरित क्रांति ज्यादातर सिंचित इलाकों तक सीमित थी और अब हमें वर्षा-सिंचित इलाकों पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, जो कि दूसरी हरित क्रांति का पालना बन सकता है। हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी खेती टुकड़ों में और छोटी-छोटी है तथा आगे चलकर इनका आकार और भी छोटा होने की संभावना है, जिससे खेती की आर्थिक व्यवहार्यता एक बड़ी समस्या बन सकती है। कहा जा रहा है कि छोटे किसान अब खेती छोड़ रहे हैं क्योंकि इसमें अब कम आय है तथा खेतीहर मजदूर भी नहीं मिल पा रहे हैं।

ऐसी स्थिति में, आधुनिकीकरण तथा यांत्रिक खेती पर ध्यान देना फायदेमंद होगा तथा कृषि तथा ग्रामीण विकास में किसानों, निजी क्षेत्र तथा सरकार के बीच साझीदारी का मॉडल विकसित करने पर भी विचार करना चाहिए। हर व्यवस्था में, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसान, खेती से जुड़े प्रत्येक कार्य में भागीदार होता है, चाहे वह जुताई संबंधी कार्यकलाप हो, भंडारण हो, प्रसंस्करण हो, विपणन हो या फिर अनुसंधान अथवा विकास हो। इसलिए, किसानों को इन सभी गतिविधियों में, ऐसी संवेदनशीलता के साथ शामिल किया जाना चाहिए, जिससे उनके अधिकार, जमीन और उसके उत्पादन पर सुरक्षित रह सकें। कारपोरेट जगत को, खासकर वर्षा सिंचित क्षेत्र में, कृषि उपज को लाभकारी बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि खाद्य सुरक्षा देश के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

हर साल, देश के किसी न किसी हिस्से में सूखा पड़ता रहता है। प्रत्येक राज्य और विकास खंड में, खाद्य सुरक्षा के लिए, सतत् खाद्य उत्पाद जागरूकता संबंधी राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जाना चाहिए। इसी तरह से, इस बात के मद्देनजर, कि अगले 20 वर्षों में हमारी आबादी एक सौ अड़तालीस करोड़ तक पहुंच जाएगी, खासकर अनाज, तिलहन और दलहन जैसे खाद्यान्नों के समेकित उत्पादन के लिए, राष्ट्रीय योजना बनाए जाने की जरूरत है और इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो, प्रत्येक राज्य को, अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, अपनी जरूरत का खाद्यान्न उगाने का प्रयास करना चाहिए। इससे ढुलाई तथा भंडारण खर्च में कमी आएगी और खाद्यान्न की ढुलाई करने और संभालने में होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकेगा तथा इससे खाद्यान्न के तेजी से वितरण में सहायता भी मिलेगी।

अन्य सभी क्षेत्रों की तरह कृषि में भी, हमें पहले से कहीं ज्यादा नव-अन्वेषणों की जरूरत है। इस दशक को भारत में 'नव-अन्वेषण दशक' का नाम दिया गया है। हमारे वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं के पास, उन्नत तकनीकी तथा देश में बड़े पैमाने पर प्रयोग के लिए किफायती, स्थान विशिष्ट के लिए उपयोगी और वहनीय, दोनों ही तरह के नव-अन्वेषणों पर कार्य करने का कौशल और क्षमता मौजूद है। नव-अन्वेषण सुलभता से प्राप्त हों, यह उनके व्यावहारिक इस्तेमाल का अभिन्न भाग है। तेज गति से

बढ़ती हुई विश्व ज्ञान-अर्थव्यवस्था की स्थिति में, अनुसंधान की हमारी गति में तेजी लानी होगी। विज्ञान और तकनीकी के लिए ज्यादा धनराशि आबंटित की जानी चाहिए ताकि ऐसे वैज्ञानिक विभिन्न विषयों में गहन अनुसंधान कर सकें।

विकास और प्रगति के लिए, स्थिरता और सुरक्षा का माहौल जरूरी है। इस क्षेत्र में, हमारी पुलिस और आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों का कार्य अति महत्त्वपूर्ण है, साथ ही अपने क्षेत्र में स्थिरता के लिए अपने पड़ोसियों के साथ तथा शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ हमारा सहयोग तथा बातचीत भी अति महत्त्वपूर्ण है। आतंकवाद मानव जाति की विकास यात्रा में सबसे बड़ा खतरा है। आतंकवाद के खतरे को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्यों के समन्वित प्रयासों की अत्यधिक जरूरत है। आज विश्व कार्यकलापों में, भारत की छवि पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर है। अब जबकि भारत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना पद संभाल रहा है, वह आतंकवाद के खिलाफ समन्वित और सामूहिक वैश्विक कार्रवाई करने के लिए, अपने प्रयासों को तेज करेगा तथा सभी वैश्विक मुद्दों पर गहन जिम्मेदारी के साथ कार्य करेगा।

प्यारे देशवासियो,

पिछले कुछ वर्षों के दौरान बहुत सी घटनाओं ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपने देश के बुनियादी मूल्यों का पालन करते हुए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिल-जुलकर प्रयास करने की जरूरत है। इस अवसर पर, मुझे एक सुप्रसिद्ध कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं :

दया, अहिंसा, प्रेम-भाव की
सदा त्रिवेणी बहे।।

इसी कामना के साथ, मैं एक बार फिर, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देती हूं।

जय हिंद।